

रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छत्तीसगढ़)

इन्द्रप्रस्थ रायपुरा फेस-02 योजनांतर्गत : 78 प्लैट्स हेतु

(2BHK - 48 प्लैट्स, 3BHK- 30 प्लैट्स)

प्लॉट नं. D- 9, D-14, D-22 से D-28

आवेदन पत्र

1. आवेदन पत्र क्रमांक
2. आवेदन शुल्क रूपये 500/- (पांच सौ रूपये)
3. राशि जमा करने का विवरण – रसीद क्रं. दिनांक

कैशियर/कांऊटर लिपिक के हस्ताक्षर

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण,
द्वितीय तल भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर,
न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

Q&ks

महोदय,

मैं इन्द्रप्रस्थ रायपुरा फेस-02 में स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत प्लैट क्रमांक (2BHK/3BHK) तल पर फ्री-होल्ड पर आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। कृपया पंजीयन करने का कष्ट करें।

1. आवेदक का पूरा नाम : श्री/श्रीमती/कु.
:
2. पिता/पति का नाम : श्री
3. स्थायी पता :
:
4. मोबाईल/टेलीफोन नंबर :
5. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु):
:
.....
6. व्यवसाय :
7. Email ID :
8. आवेदक द्वारा नामित व्यक्ति का नाम, संबंध व पता :
.....
.....
9. बैंक खाता क्र.-.....बैंक का नाम एवं पता.....
.....IFSC code

10. आधार नं.पैन नं.

11. क्या आवेदक आरक्षण सुविधा का लाभ लेना चाहता है यदि हाँ तो उपर्युक्त कॉलम में सही (✓) का निशान लगायें।

1.	अनुसूचित जाति/जनजाति	10%	<input type="checkbox"/>
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	06%	<input type="checkbox"/>
3.	शासकीय/शासन के उपक्रम/स्थानीय संस्थाएं	02%	<input type="checkbox"/>
4.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	04%	<input type="checkbox"/>
5.	सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिक	02%	<input type="checkbox"/>
6.	शारीरिक विकलांग	01%	<input type="checkbox"/>
7.	निराश्रित एवं साधनहीन विधवा महिला	02%	<input type="checkbox"/>
8.	तृतीय लिंग समुदाय	02%	<input type="checkbox"/>
9.	अनारक्षित	—	<input type="checkbox"/>

12. आवेदक द्वारा चाहे गए फ्लैट के लिए निम्नानुसार प्रवृष्टियां की जावें :-

सूची में दर्ज फ्लैट का सरल क्रमांक	BLOCK	FLAT NO.	BHK	तल क्रमांक	आरक्षण की श्रेणी	सुपर बिल्टअप एरिया रकबा (वर्गफुट में)	हस्ताक्षर

टीप :- 1. यदि आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. तीन बार लॉटरी के उपरान्त यदि आरक्षित श्रेणी के फ्लैट के लिये पंजीयन प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन कर दिया जावेगा।

13. मैं रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि समय पर भुगतान करने के लिए सहमत हूँ।

(आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर)

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने फ्लैट आवंटन के नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं। समस्त नियम एवं शर्तें मुझे मान्य हैं।

स्थान :

दिनांक :

(आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर)

नाम

घोषणा

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने आवेदन पत्र में जो जानकारी दी है, वह सत्य है तथा मैंने शर्तें एवं नियम पढ़ लिये हैं अथवा मुझे समझा दी गई है। मुझे सभी नियम व शर्तें मान्य हैं, जिसका मेरे द्वारा पालन किया जाएगा। मेरे द्वारा कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आबंटन निरस्त किया जा सकता है एवं जमा की गई राशि राजसात की जा सकती है। इसके अलावा अभियोजन की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
2. प्राधिकरण एवं आवेदक के मध्य उत्पन्न किसी विवाद को पंच निर्णय हेतु सौंपा जाएगा और ऐसे विवाद का निपटारा अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अथवा इस हेतु उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दिया जाएगा, जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। अध्यक्ष द्वारा किसी व्यक्ति को पंच (आर्बिट्रेटर) नियुक्त किये जाने के संबंध में मुझे आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा, भले ही ऐसा आर्बिट्रेटर प्राधिकरण का कोई अधिकारी ही क्यों न हो।

स्थान :

दिनांक :

(आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर)

नाम :

पंजीयन राशि.....

बैंकर्स चेक/पे-आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/बैंक का नाम.....

क्रमांक..... रसीद क्रं..... बुक नं..... दिनांक

..... से जमा किया।

(आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर)

14. पंजीयन राशि जमा करने का विवरण :-

अ. जमा की गई राशि

1.) फार्म शुल्क की राशि

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.) पंजीयन शुल्क की राशि

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

क्रं0	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	राशि (शब्दों में)	
2.	बैंक का नाम	
3.	शाखा	
4.	शहर	

ब. बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चेक का विवरण :-

क्रं0	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	जारी करने वाले बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	शहर	
4.	दिनांक एवं क्रमांक	क्रमांक दिनांक.....

स. NEFT /RTGS का विवरण जो कि आवेदक द्वारा जमा की जाये :-

क्रं0	विवरण	आवेदक द्वारा भरा गया विवरण
1.	भेजने वाले बैंक का नाम	
2.	शाखा	
3.	शहर	
4.	यू.टी.आर नम्बर	
5.	आवेदक का पेन नं0	क्रमांक दिनांक.....

द. आवेदक द्वारा NEFT/RTGS से पंजीयन राशि एवं फार्म शुल्क जमा करने हेतु विवरण

क्रं0	विवरण	
1.	रायपुर विकास प्राधिकरण A/C No.	
2.	खाते का नाम	
3.	बैंक का नाम	
4.	IFSC Code	
5.	MICR Code	
6.	SWIFT Code	

रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)

भक्त माता कर्मा व्यवसायिक परिसर, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006

इन्द्रप्रस्थ रायपुरा फेस-02 योजनांतर्गत : 78 फ्लैट्स हेतु

(2BHK - 48 फ्लैट्स, 3BHK- 30 फ्लैट्स)

प्लॉट नं. D- 9, D-14, D-22 से D-28

पंजीयन एवं आबंटन की नियम एवं शर्तें

1. भारतीय नागरिक, भारतीय कम्पनी, पार्टनरशीप फर्म, ट्रस्ट, एसोसियेशन ऑफ परसन, एन. आर.आई. अन्य कोई संस्था या व्यक्ति जो नियमानुसार आवासीय उपयोग हेतु फ्लैट खरीदने हेतु पात्र है, से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
2. पंजीयन हेतु आवेदन पत्र रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय, (न्यू राजेन्द्र नगर स्थित भक्त माताकर्मा परिसर के द्वितीय तल पर) रायपुर से रू. 500/- का नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन शुल्क की राशि वापसी योग्य नहीं है। आवेदन पत्र सोमवार से शनिवार सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक शासकीय अवकाश को छोड़कर प्राप्त किये जा सकेंगे।
- A. 2BHK फ्लैट्स का अनुमानित मूल्य रू0 17.78 लाख रूपये होगा जिसका सुपर बिल्टअप एरिया 726.73 वर्गफुट बिल्टअप एरिया 647.97 वर्गफुट तथा कारपेट एरिया 568.34 वर्गफुट है।
- B. 3BHK फ्लैट्स का अनुमानित मूल्य रू0 27.05 लाख रूपये होगा जिसका सुपर बिल्टअप एरिया 1091.92 वर्गफुट बिल्टअप एरिया 986.05 वर्गफुट तथा कारपेट एरिया 880.38 वर्गफुट है।

आवेदक को अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत राशि पंजीयन शुल्क के रूप में जमा करना होगा।

78 फ्लैट्स का तल वार विवरण				
ब्लाक	BHK	फ्लैट्स की संख्या प्रति तल	तल की संख्या	कुल फ्लैट्स
A	2BHK	03	06	18
B	2BHK	03	06	18
C	2BHK	02	06	12
A	3BHK	—	—	—
B	3BHK	—	—	—
C	3BHK	05	06	30

3. आवेदन के लिये निर्धारित की गई पंजीयन राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के नाम पर देय बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चेक/NEFT/RTGS द्वारा स्वीकार की जावेगी। इस हेतु प्रत्येक फ्लैट के लिये आवेदन पत्र के परिशिष्ट क्रमांक 01 में देय पंजीयन राशि दर्शायी गयी है। बिना पंजीयन राशि के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

- A. आवेदन पत्र को रायपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.rdaraipur.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे डाउनलोड किये गये सभी आवेदन पत्रों के साथ 500/- रूपये मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, A/C रायपुर के नाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक होगा, साथ ही संबंधित दस्तावेजों एवं पंजीयन राशि का ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा।
- B. आवेदन पत्र शुल्क 500 रु. एवं पंजीयन राशि को NEFT/RTGS/BANK TRANSFER से भी जमा किया जा सकता है तथा रसीद की फोटोकापी आवेदन-पत्र के साथ लगाकर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
4. संपूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र, पंजीयन राशि के साथ प्राधिकरण कार्यालय में प्रति दिन संध्या 5.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं।
5. आवेदक द्वारा NEFT/RTGS से पंजीयन राशि एवं फार्म शुल्क जमा करने हेतु विवरण

क्र०	विवरण	
1.	रायपुर विकास प्राधिकरण A/C No.	
2.	खाते का नाम	
3.	बैंक का नाम	
4.	IFSC Code	
5.	MICR Code	
6.	SWIFT Code	

6. किसी फ्लैट के लिये एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर फ्लैट का आबंटन लॉटरी से किया जावेगा। लाटरी विधि से आवंटिती को फ्लैट आबंटित होते ही प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि जमा करने का समयवार विवरण उपलब्ध कराया जावेगा।
7. फ्लैट का आवंटन नाबालिग के नाम पर नहीं होगा और न ही उसकी तरफ से किसी को आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।
8. फ्लैट का आवंटन पंजीकृत आवेदकों को लाटरी पद्धति से किया जावेगा। लाटरी के समय पंजीयनकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। जिन व्यक्तियों के नाम लाटरी में नहीं निकलेगें उनकी जमा पंजीयन राशि आवेदन के साथ मूल रसीद प्रस्तुत करने पर वापस कर दी जावेगी।

9. पंजीयन राशि फ्लैट के मूल्य में अंतिम किश्त में समायोजित की जायेगी।
- (अ) यदि आवेदक लॉटरी की प्रक्रिया होने के पूर्व पंजीयन राशि वापस चाहता है तो पंजीयन राशि में 10 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज वापस की जायेगी।
- (ब) लॉटरी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने एवं आबंटन आदेश जारी हो जाने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा 03 माह के भीतर पंजीयन राशि वापस चाहता है तो पंजीयन राशि में 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज वापस की जायेगी।
- (स) आबंटन आदेश जारी होने के 03 माह पश्चात् यदि आवेदक द्वारा पंजीयन राशि वापस चाहता है तो पंजीयन राशि में 30 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज वापस की जायेगी।

10. आरक्षण व्यवस्था को आवासीय योजनाओं के लिये प्रचलित नियमों के अनुसार रखा गया है। तीन विज्ञापन प्रकाशन उपरान्त यदि आरक्षित वर्ग के फ्लैट का पंजीयन प्राप्त नहीं होता है, तो उन्हें अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन कर दिया जावेगा। आरक्षण का प्रतिशत निम्नानुसार रहेगा :-

1.	अनुसूचित जाति/जनजाति	10%
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	06%
3.	शासकीय/शासन के उपक्रम/स्थानीय संस्थाएं	02%
4.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	04%
5.	सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिक	02%
6.	शारीरिक विकलांग	01%
7.	निराश्रित एवं साधनहीन विधवा महिला	02%
8.	तृतीय लिंग समुदाय	02%

टीप :- आरक्षित वर्ग के हितग्राही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।

11. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अंतिम मूल्य निर्धारण सक्षम अधिकारी से स्वीकृति पश्चात् आबंटिती को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
12. प्रस्तावित फ्लैट्स (प्रकोष्ठ भवन) का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय में प्रचलित नियमों तहत किया जाएगा। फ्लैटों का लॉटरी से आबंटन होने के पश्चात् आवेदक को आबंटन आदेश जारी किया जावेगा जिसमें फ्लैटों की शेष राशि जमा करने के लिये तिथि का उल्लेख होगा। विलम्ब से किश्त जमा किये जाने पर नियमानुसार 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। फ्लैट की कीमत 24 मासिक किश्तों में जमा करना होगा तथा फ्लैट का आधिपत्य अधिकतम 30 माह के भीतर रजिस्ट्री उपरान्त दिया जा सकेगा।

13. फ्लैट्स के भूतल पर कवर्ड पार्किंग का प्रावधान किया गया है, उसका संबंधित ब्लॉक के आबंटिती सामूहिक रूप से बिना विवाद के उपयोग करेंगे।
14. कॉलोनी निर्मित होने के 18 माह के भीतर कालोनी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जायेगा। अन्यथा कि स्थिति में समस्त हितग्राहियों को मिलकर फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सोसायटी के गठन कर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। प्रकोष्ठ भवनों की सामूहिक व्यवस्थाओं के बाह्य रख-रखाव हेतु भवन के विक्रय मूल्य का 7.50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि एक मुश्त ली जावेगी। पंजीकृत सोसायटी को रख-रखाव मद में जमा राशि में से व्यय की गई राशि काटकर शेष राशि प्राधिकरण के नियमानुसार प्रदान की जायेगी। रख-रखाव हेतु प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जायेंगे।
 1. बाह्य साफ सफाई, कचरा उठाने का कार्य एवं नाली सफाई कार्य।
 2. स्ट्रीट लाईट एवं लिफ्ट का संधारण कार्य।
 3. बाह्य सीवर पाईपलाईन एवं रेनवाटर पाईप का संधारण कार्य।
 4. संयुक्त सेप्टिक STP का कार्य।
 5. संयुक्त वाटर टैंक का सफाई कार्य।
 6. भवन के रख-रखाव के अंतर्गत बाह्य प्लास्टर रिपेयरिंग कार्य तथा प्रति 02 वर्ष में बाहरी सतहों में पुताई का कार्य।
 7. गार्डन का रख-रखाव का कार्य।
15. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता फोन नं./मोबाईल नं. ई-मेल आईडी स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें। अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर जवाबदारी रायपुर विकास प्राधिकरण की नहीं होगी। यदि पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना तुरंत हितग्राहियों द्वारा देना अनिवार्य होगा। अन्यथा किसी प्रकार के पते के कारण विवाद उत्पन्न होने पर रायपुर विकास प्राधिकरण की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
16. उक्त योजनातर्गत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्त को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा।
17. भवन पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में हितग्राही, यदि फ्लैट का आधिपत्य प्राप्त नहीं करते हैं तो भवन में सुरक्षा हेतु प्राधिकरण के नियमानुसार निर्धारित दर से सुरक्षा शुल्क देय होगा।

18. आधिपत्य अधिपत्र जारी होने के 15 दिवसों के भीतर फ्लैट का आधिपत्य प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा टूट-फूट की जिम्मेदारी स्वयं हितग्राही की होगी।
19. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन व वित्तीय संस्था से फ्लैट क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ऋण प्रमाण-पत्र मांग अनुसार प्रदाय किया जायेगा, किन्तु तालिका में निर्धारित राशि जमा करने की तिथियों को शिथिल नहीं किया जावेगा एवं तदानुसार निश्चित दिनांक को रकम जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
20. विज्ञापन में दर्शायी गई कीमत अनुमानित है, फ्लैट का अंतिम मूल्य, वास्तविक व्यय के आधार पर प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूर्ण होने पर निर्धारित किया जावेगा, जो आबंटिती को मान्य होगा।
21. (अ) स्थानीय निकाय, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा देय अन्य शुल्क/टैक्स (GST) नियमानुसार देय होगा।
(ब) हितग्राहियों को प्रकोष्ठ भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन, शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।
(स) निर्धारित जल शुल्क नियमित रूप से पृथक से जमा करना होगा।
22. प्रकोष्ठ भवन के डिजाईन तथा स्पेशीफिकेशन प्राधिकरण द्वारा ही तय किये जायेंगे, बुकलेट में दर्शाये गये स्पेशीफिकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिये प्राधिकरण स्वतंत्र है इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा।
23. अन्य जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती है एवं प्राधिकरण, की वेबसाईट www.rdaraipur.com में देखा जा सकता है।
24. प्रकोष्ठ भवन आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र होगा।
25. ऐसी योजना/योजनाए जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते अथवा भूमि विवाद या अन्य कारण से योजना ली जानी प्राधिकरण के हित में नहीं होगा, संपूर्ण योजना या योजना का कुछ भाग निरस्त करने हेतु प्राधिकरण स्वतंत्र होगा। तथा इस कारण पंजीयनकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। पंजीयनकर्ताओं को उनकी जमा राशि 7 प्रतिशत ब्याज के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थान्तरित कर या चेक द्वारा वापस किया जायेगा।

26. इस आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होने पर प्राधिकरण को अधिकार होगा कि आबंटन निरस्त कर दें। ऐसी स्थिति में पंजीयन राशि में 20 प्रतिशत की कटौती (10 प्रतिशत प्रथम किश्त की राशि में) कर शेष राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी।
27. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
28. प्राधिकरण में प्रचलित अन्य नियम फ्लैट आधिपत्य के पश्चात या पहले सभी हिग्राहियों को मान्य होंगे एवं उनके अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।
29. फ्लैट का आधिपत्य निर्माण कार्य पूर्ण होने पर दिया जायेगा।
30. फ्लैट का पूर्ण मूल्य निर्धारित किश्तों में हितग्राही को देना होगा, किन्तु फ्लैट का आधिपत्य निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात दिया जावेगा। निर्धारित किश्तों की तालिका आबंटन आदेश के साथ दी जावेगी।
31. उपलब्ध फ्लैटों का अनुमानित मूल्य, फ्लैट का तल वार विवरण एवं आरक्षण की जानकारी पृथक से संलग्न है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर (छ.ग.)

इन्दप्रस्थ योजना रायपुरा
विक्रय हेतु उपलब्ध 78 फ्लैट का विवरण

स. क्रं.	ब्लॉक क्रमांक	फ्लैट क्रं.	तल क्रं.	BHK	सुपर बिल्टअप एरिया क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	बिल्टअप एरिया क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	कारपेट एरिया (वर्गफुट में)	अनुमानित मूल्य (रूपये लाख में)	पंजीयन राशि (रूपये में) 10%	आरक्षण वर्ग
1	A	1	प्रथम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनुसूचित जाति/जनजाति
2	A	2	प्रथम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	शारीरिक विकलांग के लिये
3	A	3	प्रथम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये
4	A	4	द्वितीय	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
5	A	5	द्वितीय	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
6	A	6	द्वितीय	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
7	A	7	तृतीय	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
8	A	8	तृतीय	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
9	A	9	तृतीय	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
10	A	10	चतुर्थ	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनुसूचित जाति/जनजाति
11	A	11	चतुर्थ	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
12	A	12	चतुर्थ	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	शासकीय/शासन के उपक्रम/स्थानीय संस्थाएँ
13	A	13	पंचम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
14	A	14	पंचम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	निश्रान्त एवं साधनहीन विधवा के लिये

15	A	15	पंचम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
16	A	16	षष्ठम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
17	A	17	षष्ठम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
18	A	18	षष्ठम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
19	B	1	प्रथम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
20	B	2	प्रथम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
21	B	3	प्रथम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
22	B	4	द्वितीय	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
23	B	5	द्वितीय	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
24	B	6	द्वितीय	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
25	B	7	तृतीय	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनुसूचित जाति/जनजाति
26	B	8	तृतीय	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
27	B	9	तृतीय	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
28	B	10	चतुर्थ	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
29	B	11	चतुर्थ	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
30	B	12	चतुर्थ	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
31	B	13	पंचम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
32	B	14	पंचम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनुसूचित जाति/जनजाति
33	B	15	पंचम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित

34	B	16	षष्ठम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
35	B	17	षष्ठम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
36	B	18	षष्ठम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
37	C	1	प्रथम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
38	C	2	प्रथम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
39	C	3	प्रथम	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	निश्रारित एवं साधनहीन विधवा के लिये
40	C	4	प्रथम	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	शासकीय/शासन के उपक्रम/स्थानीय संस्थाए
41	C	5	प्रथम	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
42	C	6	प्रथम	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनुसूचित जाति/जनजाति
43	C	7	प्रथम	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
44	C	8	द्वितीय	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
45	C	9	द्वितीय	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
46	C	10	द्वितीय	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
47	C	11	द्वितीय	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
48	C	12	द्वितीय	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनुसूचित जाति/जनजाति
49	C	13	द्वितीय	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
50	C	14	द्वितीय	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
51	C	15	तृतीय	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
52	C	16	तृतीय	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित

53	C	17	तृतीय	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
54	C	18	तृतीय	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
55	C	19	तृतीय	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
56	C	20	तृतीय	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
57	C	21	तृतीय	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
58	C	22	चतुर्थ	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
59	C	23	चतुर्थ	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनुसूचित जाति / जनजाति
60	C	24	चतुर्थ	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
61	C	25	चतुर्थ	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
62	C	26	चतुर्थ	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
63	C	27	चतुर्थ	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
64	C	28	चतुर्थ	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
65	C	29	पंचम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अनारक्षित
66	C	30	पंचम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	तृतीय लिंग समुदाय
67	C	31	पंचम	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
68	C	32	पंचम	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
69	C	33	पंचम	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
70	C	34	पंचम	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
71	C	35	पंचम	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित

72	C	36	षष्ठम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	तृतीय लिंग समुदाय
73	C	37	षष्ठम	2BHK	726.73	647.97	568.34	17.78	1,77,800.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
74	C	38	षष्ठम	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
75	C	39	षष्ठम	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अन्य पिछड़ा वर्ग
76	C	40	षष्ठम	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनारक्षित
77	C	41	षष्ठम	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये
78	C	42	षष्ठम	3BHK	1091.92	986.05	880.38	27.05	2,70,000.00	अनुसूचित जाति / जनजाति